

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

दिनांक बनाम
 नदमा ५१९१ मुकदमा नं. ०५०५ सन् २०१८

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
०५/१८	<p>०५/१८ वकील वादीगण/वादी श्री <u>सु. २०१५-२०२५ ३१५</u> ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक ०४.०२.२०१८ को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकलात उप. अनुपस्थित/ <u>पत्रावली अधिकारी</u> <u>अन्य कार्य में व्यस्त।</u> पत्रावली पूर्ण आपसगुण आईन्दा दिनांक-१९-३-१८ को पेश हो</p>	
०६/१८	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलात उप. अनुपस्थित/ <u>पत्रावली अधिकारी</u> <u>अन्य कार्य में व्यस्त।</u> पत्रावली पूर्ण आपसगुण आईन्दा दिनांक-०६/०६/१८ को पेश हो</p>	
०८/१८	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलात उप. अनुपस्थित/ <u>पत्रावली अधिकारी</u> <u>अन्य कार्य में व्यस्त।</u> पत्रावली पूर्ण आपसगुण आईन्दा दिनांक-०६/११/१८ को पेश हो</p>	
०६/१८	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलात उप. अनुपस्थित/ <u>पत्रावली अधिकारी</u> <u>अन्य कार्य में व्यस्त।</u> पत्रावली पूर्ण आपसगुण आईन्दा दिनांक २१/०१/१९ को पेश हो</p>	

21/01 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपो वास्तु पेश होने के बाद तब जा तारीख प्रतिवादीगण हेतु मिलल दिनांक 11/03/19 को पेश हो।

11/03/19

पत्रावली पेश हुई। वकालत उप.
पीठाराम अधिकारी
को पत्रावली पेश कार्य में वास्तु।
पत्रावली पूरे आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 19/05/19 को पेश हो।


20/5/2019 वकील का वादीगण उपो अधि. प्रतिवादीगण को भावाज लगाई। हाजिर अदालत नहीं आये। वकील वादीगण ने इच्छा की कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है, जिसे आगामी तारीख पेशी पर तस्वीक करना लिखा जायेगा। आईन्दा तारीख पेशी परमाई आने, प्राडि पर पत्रावली दिनांक 19/08/19 को पेश हो।

3/8/19

19/08/19

पत्रावली पेश हुई। वकालत उप.
पीठाराम अधिकारी
को पत्रावली पेश कार्य में वास्तु।
पत्रावली पूरे आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 09/09/19 को पेश हो।

07/10 ईजाजती पेशी के त्त पत्रावली आज पेश हुई। उक्तण में बाट-बाट भावाज लगाई गई। बावजूद भावाज लगवाने वकालत उभयपक्ष अथवा पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही उक्तण अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में जारी किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शमाह हेतु नम्बर से काम हो तथा बाद तजमील दाखिल दफ़तर है। निर्णय को न्यायालय में आया गया।



राहायक